115

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 49-दो/2001 - विरूद्ध आदेश दिनांक 23-9-1977- पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 627 अ-6/1974-75 अपील

1- लक्ष्मीचंद पुत्र नेवन्दराम ठारवानी
निवासी दस हास्पिटल लायन
माधवनगर कटनी जिला कटनी ---आवेदक

विरूद्ध

1- दिनेश कुमार अग्रवाल
2- राकेश कुमार अग्रवाल
3- योगेश कुमार अग्रवाल
पुत्रगण किशोरीलाल
4- श्रीमती स्वामी पुत्री किशोरीलाल
सभी निवासी बार्ड-11 जिला जेल
के वगल से शहडौल मध्यप्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्ति - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 15 - 11 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 627 अ-6/1974-75 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-9-1977 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम सौख्री स्थित खसरा नंबर 93 के

अॅश भाग के अनरजिस्टर्ड विकय पत्र 14-3-64 के आधार पर अधीक्षक भू अभिलेख भूमि परिवर्तन नगरीय क्षेत्र शहडौल ने आदेश दिनांक 15-1-70 से नामान्तरण कार्यवाही की। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर ने प्रकरण कमांक 94/अ-6/69-70 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-7-1975 से अपील निराकृत की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 627 अ-6/1974-75 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-9-1977 से अधीक्षक भू अभिलेख भूमि परिवर्तन नगरीय क्षेत्र शहडौल का आदेश दिनांक 15-1-70 तथा अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर का आदेश दिनांक 15-7-1975 निरस्त कर दिया एंव प्रकरण पुर्नजॉच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 627 अ-6/1974-75 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-9-1977 से परिवेदित होकर यह निगरानी राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष दिनॉक 8-1-2001 को (22 वर्ष से अधिक विलम्ब से) प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक को अवधि विधान की धारा-5 पर एंव न्यायदान की दृष्टि से गुणदोष के आधार पर सुना गया। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण को बार-बार सूचना पत्र भेजे गये, किन्तु वह अनुपस्थित हैं ।

4/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा अवधि विधान की धारा -5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों के आधार पर विलम्ब क्षमा करने की मांग रखी। उन्होंने यह भी बताया कि स्वर्गीय मूलचंद ने किशनलाल अग्रवाल से 98/-रू. में विवादित भूमि दिनांक 14-3-64 को कय थी उसके वाद आवेदक ने पॅजीकृत विकय पत्र दिनांक 2-3-82 से भूमि कय की है जिसके आधार पर वह हितबद्ध पक्षकार है , किन्तु आवेदक को पक्षकार बनाये बिना अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 627 अ-6/1974-75 अपील में आदेश दिनांक 23-9-1977 पारित किया है इसलिये विलम्ब क्षमा कर निगरानी स्वीकार की जाय एंव वादोक्त भूमि मूल भूमिस्वामियों होने वावत् आदेश प्रदान किये जावें।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 627 अ-6/1974-75 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-9-1977 के विरूद्व यह निगरानी राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर में दिनॉक 8-1-2001 को अर्थात 22 वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जबकि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 23-9-1977 से अधीक्षक भू अभिलेख भूमि परिवर्तन नगरीय क्षेत्र शहडौल का आदेश दिनांक 15-1-70 तथा अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर का आदेश दिनांक 15-7-1975 निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः जांच हेतु एंव पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा के आदेश दिनांक 23-9-1977 के उपरांत विचारण न्यायालय में पक्षकारों की पुर्नसुनवाई एंव पुर्नजांच में क्या कार्यवाही अथवा निर्णय हुये ? आवेदक के अभिभाषक बता पाने में मौन हैं। जब आवेदक को विचारण न्यायालय में पक्ष रखने एंव लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर दावा प्रमाणित करने का उपचार प्राप्त है, विचाराधीन निगरानी में लगभग 40 वर्ष व्यतीत हो जाने से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 23-9-1977 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अवधि वाह्य होने एंव गुणदोष के आधार पर परीक्षण में सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 627 अ-6/1974-75 अपील में पारित प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 23-9-1977 यथावत् रखा जाता है।

(एम0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर